वित्तीय वर्ष 2019–20 में ''ओ'' लेवल एवं ''सी0सी0सी0'' कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत आवेदन करने वाली संस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश

''ओ'' लेवल एवं ''सी0सी0सी0'' कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के आवेदन प्रकिया के लिए सर्वप्रथम शिक्षण संस्थाओं द्वारा दिशा–निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया जाय। ऑनलाईन आवेदन में समस्त प्रविष्टियॉ अॅग्रेजी में भरा जायेगा।

ऑनलाईन फार्म भरने की प्रकिया निम्नवत है:–

स्टेप–1	सामान्य निर्देश, तकनीकी निर्देश, शासनादेश, आवेदन / रजिस्ट्रेशन प्रपत्र को डाउन लोड करते हुये अंकित किये जाने वाली सूचनाओं का भली–भॉति अध्ययन किया जाना।
स्टेप–2	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने हेतु विभागीय वेबसाइट backwardwelfareup.in पर दिये गये लिंक पर click करने के उपरान्त दिये हुये विकल्प का चयन करते हुये, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन की प्रकिया पूर्ण किया जाना। जो संस्थायें वर्ष 2018–19 में विभाग द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु चयनित हुई थीं, उन संस्थाओं द्वारा वर्ष 2019–20 के चयन हेतु नवीनीकरण का विकल्प चुनते हुये ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरा जायेगा तथा अन्य आवेदन करने वाली संस्थाओं द्वारा 'ओ' लेवल / सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण के चयन हेतु आनलाइन आवेदन में दिये गये विकल्प में से नवीन आवेदन पत्र का चयन करते हुये ऑनलाइन आवेदन करेंगीं। सर्वप्रथम आवेदन के पूर्व रजिस्टर इंस्टीट्यूट (register institute) की प्रकिया पूर्ण करते हुये आवेदक को स्वयं रजिस्टर करना होगा।
स्टेप–3	रजिस्टर करने के उपरान्त आवेदक को अपनी बेसिक डिटेल भरनी होगी तत्पश्चात संस्था द्वारा अंकित किये गये मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगी।
स्टेप–4	रजिस्ट्रेशन उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं पासवर्ड भरा जायेगा, जिसके उपरान्त संस्था को नवीन / नवीनीकरण आवेदन का विकल्प उपलब्ध होगा।
स्टेप–5	संस्था द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन / आवेदन भरते समय समस्त प्रविष्टियों को सही अंकित करना होगा तथा वांछित अभिलेखों को अपलोड करना होगा।
स्टेप–6	जिन सूचनाओं के आगे * बना है, उनको भरा जाना अनिवार्य है। इसके बिना फार्म स्वीकार नहीं होगा।
स्टेप–7	ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी समस्त प्रविष्टियों को सत्यापित करने की घोषणा हेतु नीचे दिये गये बॉक्स पर click करें।
स्टेप–8	आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुये आवेदन का प्रिन्ट आउट लिया जायेगा एवं समस्त संबंधित अभिलेखों को संलग्न करते हुये, उसकी एक प्रति **निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, इन्दिरा भवन, लखनऊ** में आधारभूत ढॉंचे के विवरण सम्बन्धी अभिलेख तथा विगत तीन वर्षो में सर्टीफिकेट प्राप्त छात्रों के प्रमाणित सर्टीफिकेट तथा परीक्षाफल संलग्न करते हुये हार्ड कॉपी निर्धारित तिथि के पूर्व जमा कराने के उपरान्त आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी। निर्धारित अभिलेखों के साथ संस्था प्रमुख द्वारा रू0 10 / – के स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा अंकित करनी होगी कि ऑनलाइन आवेदन में जो भी सूचनायें संस्था द्वारा भरी गयी हैं अथवा जो भी प्रमाण संलग्न किये गये हैं, वे सही हैं तथा प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत किये गये प्रशिक्षणार्थियों को यदि संस्था द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कराया जाता है / अधूरा छोड़ दिया जाता है तो सम्बन्धित कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु प्राप्त धनराशि विभाग को वापस कर दी जायेगी, तथा विभाग संस्था / संस्था प्रमुख के विरूद्व समुचित विधिक कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र होगा।
स्टेप–9	संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन अथवा हार्ड कॉपी के साथ संलग्न अभिलेखों में यदि कोई सूचना / तथ्य त्रुटिपूर्ण / गलत / फर्जी पाये जाते है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रकिया पूर्ण करते हुये सम्बन्धित अभिलेखों की हार्डकापी / प्रमाणित प्रति निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लखनऊ में निर्धारित तिथि के पूर्व जमा करने के उपरान्त ही आवेदन प्रकिया पूर्ण मानते हुये आवेदन पर विचार किया जायेगा। निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लख़नऊ के पास ऐसे आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त ऐसे आवेदनों पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
स्टेप–10	कोई भी तकनीकी में व्यवधान उत्पन्न होती है, तो उसके निवारण हेतु निम्न नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है। 1–श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (योजना अधिकारी) मोबाइल नम्बर–9076600580 2–श्री सुशील द्विवेदी, ऑफिस असिस्टेंट, मोबाइल नम्बर–7398481223

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
जि0 पि0 व0 क0 अधि0
(योजना प्रभारी)

(विकास शर्मा)
संयुक्त निदेशक
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
उ0प्र0, लखनऊ